सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0
राजस्व अपील सं0 102/2018

घासी लाल पुत्र श्रवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम भॉकरी तहसील व जिला दौसा
...अपी0

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 16.10.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार, दौसा

उपस्थित : 1.श्री योगेश जाकड अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

**निर्णय** **दिनांक 04.04.18**

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 16.10.2017 को ग्राम भॉकरी के आ0ख0 न0 न0 259 रकबा 0.01 है0 किस्म जमीन चारागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूॅठी रिपोर्ट की है। वास्तव में उक्त भूमि करीब 3 बीघा भूमि प्रार्थी/ अपीलांट के ग्राम की आबादी के लगते हुए है व आबादी के रुप में 50–60 साल से काम आ रही है। जिसमें अपीलांट 50–60 साल से 0.01 है0 भूमि में मकान बनाकर उसमें परिवार सहित रहवास करता चला आ रहा है तथा अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि में से भूमि चरागाह के लिए समर्पण करने के लिए तैयार है। अपीलांट के पास उक्त रहवास के अलावा अन्य कोई मकान नहीं है ऐसी सूरत में यदि अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल किया जाता है, तो अपीलांट खुले आसमान के नीचे परिवार सहित रहने को मजबूर होगा। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नही है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किए बिना अपीलांट को अतिक्रमी नही माना जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट ने ही अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए है। अपीलांट अपनी अपील मीमों व वरवक्त बहस में उक्त भूमि पर मकान बनाकर रहवास करना बताया है। आबादी भूमि के लगते हुए भूमि होने से आबादी की भूमि नहीं हो जाती है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि चरागाह अंकित है। चूँकि वर्तमान में भूमि चरागाह होने से आबादी के प्रयोजन में काम नहीं ली जा सकती। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पुराना अतिक्रमण होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये जिसमें अपीलांट को पश्चातवर्ती व आदतन अतिचारी होना अपने बयानों में बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करना सबूखी साबित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलांट का मौके पर पुख्ता निर्माण है, जिससे अपीलांट का अतिक्रमण पुराना होना साबित है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 04 अप्रेल, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official